T

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्य प्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग

25

प्रकरण क्रंमांक 13/अ-82/16-17/ /10440 बैतूल दिनांक /08/2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चुंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रंमांक-1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसुची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रंमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी के उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	ठानीमाल	0.049	उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर एवं तहसीलदार बैतूल	रेलवे तीसरी लाईन

अनुसूची-1

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे. मे
1	2	3	4	5
1	परदेशी, रमेश, रामुस व. भिक्की, मुन्नी, रमोली व. भिक्की	57/2	2.266	0.049
योग				0.049

1 चुंकि रेलवे तीसरी लाईन हेतु, हितबद्ध व्याक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्याक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारंश समिति द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेवसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3 कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(शशांक मिश्र)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रंमांक 13/अ-82/16-17/ 10440

बैतूल दिनांक 25 /05/2018

प्रतिलिपी :-

1 उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2 संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चैराहा के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3 उप-मुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी - नागपुर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4 प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समुचित सरकार की WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।

5 प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7 तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावें एवं एक प्रति मे पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8 जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9 सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत ठानीमाल तहसील बैतूल जिला बैतूल (म0प्र.) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग